



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2572] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2572] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3208(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐस प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मजिस्ट्रेट, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि सक्षम प्राधिकारी कोई और जाँच आवश्यक समझे, करने के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिए फतेहपुर जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – फतेहपुर

क्रम सं.	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	बिन्दकी	(1) चक्की चक चमरु	2415/2259	1.0530
			2377	0.0810
		(2) सिकरोड़ी	512 क, ख	0.1780
		(3) मौहार	1566	0.0540

ऐसे सर्वेक्षण संख्या जहां अर्जन के लिए पूर्व अधिसूचना हो चुकी है, और अतिरिक्त क्षेत्र अपेक्षित है और इस अधिसूचना में कवर की गई है, जिन्हें अनुलग्न (मिंज) चिन्हांकित किया गया है।

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/555]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2014

S.O. 3208(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Fatehpur, in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Fatehpur, in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor.

Name of District - Fatehpur

Sr.No.	Name of Taluk	Name of Village	Plot/Survey No.	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Bindki	(1) Chakki Chak Chamru	2415/2259	1.0530
			2377	0.0810
		(2) Sikrodhi	512 (Ka, Kha)	0.1780
		(3) Mauhar	1566	0.0540

Those Survey Nos. where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered in this notification, are marked with suffix (Minj).

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/555]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-I)